को जनगणना शुरू हुई। प्रशासन की तरफ एक चिट या पर्ची दी गई। उस पर्ची में न तो कोई आर्डर नम्बर है, न रेफरेंस नम्बर है, न कोई तारीख है, न किसी का सिग्नेचर है और न ही कोई सील है।

(x3/1805/har/mmn)

जो लोग लोगों के घरों में जनगणना करने के लिए जा रहे हैं उन्हें लिखकर दिया गया कि आदिवासी कौन हैं? आदिवासी में दिया गया प्रीमिटिव ट्राइब्स, जारवाज, ओन्जीज, अंडमानीज, सेंटिनलीज, निकोबारीज। बाकी जो मुंडा और खड़िया हैं, उनको फार्म के क्वैश्चन नम्बर 8 में आदिवासी का दर्जा नहीं दिया गया है। इंग्लिश में लिखा गया है कि "No SCs in Island" अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में शैड्यूल्ड कास्ट नहीं है। इस पर्ची को लेकर जो लोग घरों में जा रहे हैं फार्म भरने के लिए, उसको सेंसस में फार्म नहीं भर रहे हैं। मैं पूछने के लिए गया था कि सेंसस क्या है? सेंसस भारत के लोगों को भविष्य में क्या अधिकार मिलने हैं, क्या उनका बनना है, इस बात को सेंसस में आना चाहिए। हम जो रेस्पोंडेंट हैं, हम जो बोलते हैं उन्हें लिखना चाहिए था, हमने एससीएसटी का अधिकार नहीं मांगा है। मैं शैड्यूल्ड कास्ट हूं तो उन्हें शैड्यूल्ड कास्ट लिखना चाहिए, मैं शैड्यूल्ड ट्राइब्स हूं तो उन्हें शैड्यूल्ड ट्राइब्स लिखना चाहिए। मैंने इसे लेकर प्रशासन को पत्र लिखा है लेकिन प्रशासन सुन नहीं रहा है। हाल ही में एससीएसटी कमेटी वहां का दौरा करने गयी थी। उसने भी बोला कि जो आदमी अपना अधिकार लेना चाहता है वह आदिवासी लिखे, शैड्यूल्ड कास्ट लिखे, उसे अपने फार्म में लिखने दो, उन्हें अधिकार लेने दो, लेकिन प्रशासन इस ओर काम नहीं कर रहा है। हमारे बीच में प्रधान मंत्री के एमओएस नरायण स्वामी जी बैठे हैं, हमारे अंडमान निकोबार के पड़ोसी हैं,जो पुदुचेरी से आते हैं। मैं उनसे अनुरोध करुगा कि हमारे द्वीपसमूह में जो सेंसस का कार्य चल रहा है उसमें एससीएसटी के जो लोग हैं उनके मुताबिक फार्म भरा जाए, सेंसस के लोग कोई धोखाधड़ी न करें, इस माग के लिए मैं यहां खड़ा हूं। जयहिंद।

MR. CHAIRMAN (SHRI ARJUN CHARAN SETHI): The House stands adjourned to meet on Monday, the 28th February, 2011 at 11 a.m.

1807 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, February, 28, 2011/Phalguna 9, 1932 (Saka).